

परियोजना का नाम:- चम्बा मसूरी फल पट्टी सूरकण्डा देवी ग्राम समूह
पम्पिंग पेयजल योजना।

परिशिष्ट
(फार्म-क)

राज्य सरकारों द्वारा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति
लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव
/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त
विवरण।

चम्बा मसूरी फल पट्टी ग्राम समूह
पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण
हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत।

4154.17 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने
का औचित्य।

अन्य विकल्प न होना

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये
जाने के लिए)

लागू नहीं

च) रोजगार जिनके पैदा होने की
संभावना है।

स्थानीय नागरिकों को कार्य

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार
विवरण:

1.359 हे० (आरक्षित वन भूमि)
0.193 हे० (नाप भूमि)
0.050 हे० (सिविल सोयम)

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का
विवरण, यदि कोई है।

0.0118
0.0618 हे० — " —
नहीं

क) परिवारों की संख्या

नहीं

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के
परिवारों की संख्या

नहीं

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं)

हां

4. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)
5. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

संलग्न

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण शाखा,
जल निगम चम्बा, टि० गढ़वाल
Uttarakhand Pwaj Sansadhan
Vikas L. am. L. amon Nigam
Chamba (Jellin Garhwal)

परियोजना का नाम:- चम्बा मसूरी फल पट्टी सूरकण्डा देवी ग्राम
समूह पम्पिंग पेयजल योजना।

भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान -

जनपद टिहरी गढ़वाल के
चम्बा/जौनपुर/थौलधार ब्लॉक के
अन्तर्गत चम्बा मसूरी फल पट्टी
सूरकण्डा देवी ग्राम समूह पम्पिंग
पेयजल योजना के निर्माण हेतु 1.359
हे० सिविल सोयम भूमि का निर्माण
शाखा जल निगम चम्बा को
हस्तान्तरण का प्रस्ताव

- | | |
|---|---|
| i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र | उत्तराखण्ड राज्य |
| ii) जिला | टिहरी गढ़वाल |
| iii) वन प्रभाग | टिहरी/नरेन्द्र नगर |
| iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित सिविल सोयम
भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | 1.359 (हे० में) |
| v) वन की कानूनी स्थिति | नरेन्द्र नगर वन प्रभाग 0.99 हे०,
टिहरी वनप्रभाग 0.32 हे० |
| vi) हरियाली का घनत्व | 0.4 |
| vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि
श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की
जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के
सम्बन्ध में एफ०आर०एल० - 8 मी० पर
परिगणना भी संलग्न किए जाए | संलग्न है। |
| viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन
शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | आवश्यकता नहीं है। |
| ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की
वन की सीमा से अनुमानित दूरी | आवश्यकता नहीं है। |
| x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य
जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर
आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और
प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित
की जाए) | नहीं, प्रमाण पत्र संलग्न |
| xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ
/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है
यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | नहीं, |
| xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/
रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक
क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा
सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ
यदि अपेक्षित हो, या | नहीं, |

- 8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। परियोजना हेतु 1.359 हे० वन भूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है।
- 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं। नहीं
- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-
- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
 - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। संलग्न है।
 - रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। संलग्न है।
 - प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
 - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।
- 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
- 12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल टिहरी/नरेन्द्र नगर वन प्रभाग
- जिला का भौगोलिक क्षेत्र। 442100-हे० 364,200 हे०
 - जिला का वन क्षेत्र। 62107.70-हे० 143,268 हे०
 - मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। 171 क्षेत्र 652,467 हे०
 - 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण रिक्त
 - (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
 - (ख) वनेत्तर भूमि पर हे०
 - अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
 - (क) वन भूमि पर रिक्त
 - (ख) वनेत्तर भूमि पर हे०

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव
अन्यथा लेन के सम्बन्ध में उप वन
संरक्षक की विशेष सिफारिश।

प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की
तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के
परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर
करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट
एवं प्रस्ताव पर प्राप्त प्रमाण पत्रों /
दस्तावेजों के अनुसार तथा अधोहस्ताक्षरी
द्वारा दिनांक को प्रश्नगत
भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के
उपरान्त प्रभाव स्तर से संस्तुति की जाती
है।

दिनांक 23/11/2015
स्थान मुनिवारी

अधोहस्ताक्षरी
हरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि जी-रेली

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है
क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण
किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की
तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट
के रूप में संलग्न करें।
- 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से
सहमत है।
- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में
सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों
के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षर:

तिथि.....

नाम और पदनाम

स्थान.....

सरकारी मोहर

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

भाग—V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 18— राज्य सरकार की सिफारिश:
(उपर्युक्त भाग—II या भाग—III या
भाग—IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर